सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं: NCST/ATY-2667/MP/87/2025-RU-I **दिनांक: 26.05.2026**

पुलिस अधीक्षक,
जिला- पांढुर्णा,
कार्यालय पुलिस अधीक्षक,
पांढुर्णा,-480334, मध्य प्रदेश
ई-मेल: sp_pandhurna@mppolice.gov.in

विषय: अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति श्री भवराव उईके को स्थानीय शराब के ठेकेदारों के द्वारा मारपीट करने तथा पुलिस शिकायत करने पर फर्जी आबकारी मुकदमा बनाकर जेल में बन्द करने पर जेल में ही चिकित्सा के अभाव में मृत्यु के संबंध में श्री इंद्रेश चंद्र सोनकर, अधिवक्ता , चेम्बार न0- 263, वेस्टर्न विंग, तीस हजारी कोर्ट, नई दिल्ली का दिनांक 17.06.2023 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 18.12.2025 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को **पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)
निदेशक/Director
दूरभाष: 011- 20819839

प्रतिलिपि प्रेषित:

श्री इंद्रेश चंद्र सोनकर,
अधिवक्ता , चेम्बार न0- 263, वेस्टर्न विंग,
तीस हजारी कोर्ट, नई दिल्ली।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

पत्रावली संख्या / File No.: NCST/ATY-2667/MP/87/2025-RU-I

अनुसंधान इकाई: अनुसंधान इकाई – RU-I

अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति श्री भवराव उईके के साथ स्थानीय शराब ठेकेदारों के द्वारा मार-पीट करने तथा पुलिस शिकायत करने पर उसके ही विरूद्ध फर्जी आबकारी मुकदमा बनाकर जेल में बन्द करने तथा जेल में चिकित्सा के अभाव में जेल अभिरक्षा में ही मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में श्री इंद्रेश चंद्र सोनकर, अधिवक्ता, चेम्बर न0 263, वेस्टर्न विंग, तीस हजारी कोर्ट, नई दिल्ली के अभ्यावेदन पर दिनांक 18.12.2025 को आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग /सुनवाई की दिनांक : 18.12.2025

सिटिंग /सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।

3. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :

आयोग को दिनांक 17.06.2023 को श्री इंद्रेश चंद्र सोनकर, अधिवक्ता, चेम्बर नं. 263, वेस्टर्न विंग, तीस हजारी कोर्ट, नई दिल्ली से एक अभ्यावेदन दिनांक 17/6/2025 प्राप्त हुआ। अभ्यावेदन के अनुसार, दिनांक 03.06.2025 को श्री भवराव उईके के साथ स्थानीय शराब ठेकेदारों द्वारा पकड़कर मारपीट की गई, जिससे उनके सीने में गंभीर आन्तरिक चोटें आईं।

अभ्यावेदन में यह भी उल्लेखित किया गया कि जब पीड़ित द्वारा पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया, तो पुलिस द्वारा शराब ठेकेदारो के दवाब में उनके ही विरुद्ध कथित रूप से एक फर्जी आबकारी प्रकरण दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल में समुचित चिकित्सा सुविधा के अभाव में अनुसूचित जनजाति के पीड़ित व्यक्ति की जेल अभिरक्षा में ही मृत्यु हो गई।

यह प्रकरण विभिन्न समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ था, जिनको पत्रावली में सम्मिलित किया गया है।

विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार एवं श्री इंद्रेश चंद्र सोनकर, अधिवक्ता से प्राप्त अभ्यावेदन के क्रम में आयोग द्वारा दिनांक 07.07.2025 को जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, पांढुर्णा को नोटिस जारी किया गया था। इसके प्रत्युत्तर में कार्यालय जिला कलेक्टर, पांढुर्णा से दिनांक 30.07.2025 को प्राप्त उत्तर के अनुसार, जिला जेल छिंदवाड़ा में निरुद्ध विचाराधीन बंदी की दिनांक 16.06.2025 को जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने पर माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, छिंदवाड़ा के न्यायालय में न्यायिक जांच की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में दिनांक 18.11.2025 को सुनवाई निर्धारित की गई थी, जिसमें केवल याचिकाकर्ता उपस्थित हुए थे। संबंधित प्राधिकारी की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण में सुनवाई पूर्ण नहीं हो सकी। इसके उपरान्त दिनांक 18/12/2025 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा पुनः सुनवाई निर्धारित की गई। सुनवाई दिनांक 18.12.2025 को जिला पुलिस अधीक्षक, पांढुर्णा के प्राधिकृत पत्र के साथ श्री बृजेश भार्गव, SDO, जिला पांढुर्णा एवं याचिकाकर्ता उपस्थित हुये।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

याचिकाकर्ता ने माननीय अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया कि दिनांक 02.06.2025 की सायं लगभग 07:00 बजे से दिनांक 04.06.2025 तक मृतक को अवैध रूप से पुलिस अभिरक्षा में रखा गया तथा दिनांक 04.06.2025 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। अभिरक्षा में रखने से पूर्व शराब ठेकेदारों कि गई मारपीट के कारण आई आन्तरिक चोटों को ईलाज जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा नहीं करवाने के कारण जेल में निरंतर बीमार रहने पर भी समुचित चिकित्सा उपचार उपलब्ध नहीं कराया गया। अधिकारियों की लापरवाही के परिणामस्वरूप जिला जेल छिंदवाड़ा में दिनांक 16.06.2025 को पीड़ित की मृत्यु हो गई। आरोप यह भी है कि जेल अधीक्षक द्वारा लापरवाही बरती गई, मृत्यु के कारणों के संबंध में भ्रामक कथन दिए गए तथा मृतक का पुनः शव परीक्षण (Re-postmortem) नहीं कराया गया।

पीड़ित का परिवार इस घटना से जहां एक ओर व्यथीत था, वही मृत्तक ट्रक को पुलिस विभाग द्वारा जब्ती के कारण उसके द्वारा परिवार के भरण पोषण हेतु बैंक ऋण की सहायता से खरीदे गये ट्रक की ऋण किस्तों का भुगतान नहीं हो सका है। जिसके के कारण मृत्तक की मृत्यु उपरान्त उसकी विधवा पत्नी को बैंक से नोटिस प्राप्त हो रहे है तथा बच्चों की शिक्षा एवं भरण – पोषण बाधित हो गये है। जिला प्रशासन ने अभी तक इस हृद्धय विदारक घटना के उपरान्त पीड़ित परिवार को कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं करवाई है।

सुनवाई में उपस्थित प्राधिकारी ने यह भी अवगत कराया गया है कि इस प्रकरण के संबंध में माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक जांच की कार्यवाही वर्तमान में प्रचलित है।

आयोग में प्रार्थी एवं प्राधिकरण के पक्ष की सुनवाई के उपरान्त निम्न अनुसंशाएं माननीय आयोग द्वारा की गईः

उपरोक्त तथ्यों से अवगत होने के उपरान्त यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पीड़ित परिवार को न्याय प्रदान करवाने हेतु न्यायिक जांच की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है परन्तु पीड़ित परिवार वर्तमान में किन समस्याओं का सामना कर रहा है, इसका आंकलन कर उनकी सहायता करने हेतु मानवीय संवेदनाओं का जिला प्रशासन के अधिकारी विफल प्रतीत हो रहे है।

1. पीड़ित परिवार का ट्रक, जो वर्तमान में जब्त किया गया है उसके संबंध में संबंधित प्राधिकरण द्वारा आवश्यक व्यवस्था की जाए, जिससे उसके परिचालन से पीड़ित परिवार अपना भरण- पोषण कर सके। जिला प्रशासन के अधिकारी पीड़ित/पीड़ित परिवार को बीमा (Insurance) तथा राजकीय सहायता से लाभ प्रदान किया जा सकता हो तो प्रयास करे कि समयबद्ध रूप से प्राप्त हो सके। यदि पीड़ित की पत्नी को परिवार के भरण – पोषण के लिए किसी भी प्रकार की राजकीय योजना का लाभ एवं रोजगार (अस्थाई/स्थाई/ संविदा) प्रदान किया जाना सम्भव हो तो उस पर भी विचार कर कार्रवाई करे।

2. आयोग यह भी अवलोकन करता है कि यह प्रकरण अत्यंत गंभीर प्रकृति का अपराध है। अतः जांच स्पष्ट, व्यापक एवं निष्पक्ष (निष्पक्ष एवं पारदर्शी) रूप से की जाए, जिससे जांच निर्णय पूर्णतः निष्पक्ष एवं न्यायोचित ढंग से प्राप्त हो सके।

3. प्रकरण में न्यायिक जांच वर्तमान में प्रचलित है, अतः आयोग द्वारा न्यायिक जांच के अंतिम निष्कर्ष/प्रतिवेदन प्राप्त होने तक मामाले को अभी प्रतीक्षा में रखा जायेगा। न्यायिक जांच के अन्तिम निष्कर्ष के उपरान्त ही अग्रिम निर्णय लिया जायेगा।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

4. जिला प्रशासन के अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि न्यायिक जांच के अन्तिम निर्णय से आयोग को निर्णय प्राप्त होने पर तत्काल अवगत करायें।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
अनुसंधान एकक-I
****

फाइल. सं. NCST/ATY-2667 /MP/87/2025-RU-I

दिनांक: 18.12.2025

विषय: अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के व्यक्ति श्री भवराव उईके को स्थानीय दारू शराब के ठेकेदारों के द्वारा मारपीट कर तथा पुलिस शिकायत करने पर फर्जी आबकारी मुकदमा बनाकर जेल में बन्द करने पर जेल में ही चिकित्सा के अभाव में मृत्यु के सम्बन्ध में श्री इंद्रेश चंद्र सोनकर, अधिवक्ता, चेम्बर न0 263, वेस्टर्न विंग, तीस हजारी कोर्ट, नई दिल्ली का अभ्यावेदन दिनांक 17.06.2023 संदर्भ में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 18.12.2025 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2.	श्री पूर्णेन्दु कान्त	निदेशक		
3.	श्री आर. के. दूबे	उप-निदेशक		
4.	श्री चेतन कुमार शर्मा	अनुसंधान अधिकारी		
5.	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
6.	श्री विवेकानन्द शुक्ला	अन्वेषक		

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,
जिला-पांढ़ूर्णा , मध्यप्रदेश

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	बृजेश भार्गव	SDO(P) पांढुर्णा	9425693755	[signature]
2.				
3.				
4.				

अभ्यावेदक/अभ्यावेदिका

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	Indresh Sonkar	[illegible]	9650206337	[signature]
2.				
3.				
4.				